160-62

Form–III

फर्द अहकाम

(नियम 226)

अज अदालत अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरदारशहर, जिला–चूरू

सरकार बनाम रतनलाल वगैरह

किस्म मुकदमा नंबरी फौजदारी प्रकरण सं. 124/2015 (सी.आई.एस. नं. 170/2015)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.08.2025	अभियोजन अधिकारी उपस्थित। अभियुक्तगण सुनिल, नीकू उर्फ निकिया व महेंद्र कुमार अनुपस्थित, जिनकी हाजरी माफी का प्रार्थना पत्र जरिए अधिवक्तागण पेश हुआ, जो वास्ते आज कारण को देखते हुए स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण रतनलाल, महावीर व देवीलाल को जारीशुदा गिरफ्तारी वारंट बाद/अदम तामील प्राप्त नहीं। प्रकरण पुराना है तथा न्यायालय के टारगेट प्रकरणों में शुमार है। अतः अभियुक्तगण रतनलाल, महावीर व देवीलाल को पुनः जरिए गिरफ्तारी वारंट जरिए डी.ओ. लेटर जरिए एसपी, चूरू तलब किया जाए। **वारंट पर लालस्याही से प्रकरण पुराना होने, न्यायालय के टारगेट प्रकरणों में शुमार होने तथा अदम तामील की सूरत में तामील कुनिन्दा अभियुक्तगण की संपत्ति सूची की रिपोर्ट के साथ मफरूरी साक्ष्य हेतु उपस्थित होने बाबत नोट लाल स्याही से अंकित किया जाए।** अभियुक्तगण के गिरफ्तारी वारंट नोडल अधिकारी को भी डीओ लेटर के साथ वास्ते तलबी प्रेषित किए जाए। पत्रावली वास्ते तलबी अभियुक्त में दिनांक 12.08.2025 को पेश हो। (नवदीप) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरदारशहर, जिला–चूरू।	